आबकारी एवं मद्य–संयम नीति
वर्ष 2011–12

(1) **अवधि** : आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2011 से 31.03.2012 तक) होगी।

(2) **बन्दोबस्त की प्रणाली** : वर्ष 2011–12 हेतु बन्दोबस्त प्रणाली निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है:–

2.1 देशी मदिरा के अनुज्ञापत्र समूहवार एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली पर आवंटित किये जायेंगे।

2.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा अनुज्ञापत्र दुकानवार निश्चित वार्षिक लाईसेन्स फीस (वार्षिक लाईसेन्स फीस का 50 प्रतिशत बेसिक लाईसेन्स फीस एवं 50 प्रतिशत न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस) पर आवंटित किये जायेंगे।

2.3 भांग के अनुज्ञापत्र समूहवार वार्षिक लाईसेन्स फीस पर आवंटित किये जायेंगे।

2.4 डोडा पोस्त के अनुज्ञापत्र समूहवार वार्षिक लाईसेन्स फीस पर आवंटित किये जायेंगे।

(3) **देशी मदिरा :**

3.1 **बन्दोबस्त की प्रक्रिया :–**

वर्ष 2011–12 हेतु निश्चित आरक्षित राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये पूर्व व्यवस्था अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।

3.2 **समूहों का गठन :–**

वर्तमान में 6602 देशी मदिरा दुकानों के पंचायत वार/नगरपालिका वार्ड वार समूह बनाये गये हैं। इन समूहों को यथावत रखा जाना है।यदि कुछ मामलों में परिवर्तन आवश्यक हुआ तो आबकारी आयुक्त वित्त विभाग की अनुमति से इसमें परिवर्तन कर सकेंगे।

3.3 **आवेदन शुल्क :–**

देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

श्रेणी	प्रस्तावित शुल्क
10 लाख तक की आरक्षित राशि वाले समूह	10,000/—
10 लाख से अधिक आरक्षित राशि वाले समूह	15,000/—

3.4 आरक्षित राशि :—

इस वर्ष हुए देशी मदिरा के अधिक उठाव को ध्यान में रखते हुये आरक्षित राशि में वृद्वि किये जाने से पहले इस अधिक उठाव को वर्ष 2011—12 के राजस्व में समाहित किया जायेगा।

वर्ष 2011—12 की समूहवार वार्षिक राशि निर्धारित किये जाने हेतु वर्ष 2010—11 की वार्षिक राशि में वर्ष 2010—11 के प्रथम 9 माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि से अतिरिक्त उठाव की प्रतिशत वृद्धि को इसमें शामिल की जाकर, तत्पश्चात् इस राशि में 10 प्रतिशत की वृद्वि नोरमल वार्षिक वृद्वि के रूप में की जावेगी, परन्तु जिस समूह में वर्ष 2010—11 के प्रथम 9 माह मे निर्धारित राशि से अतिरिक्त उठाव नही हुआ है अथवा वास्तविक उठाव निर्धारित राशि से कम है तो ऐसे समूह की वर्ष 2011—12 की वार्षिक राशि की गणना वर्ष 2010—11 की वार्षिक राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर की जावेगी।

उदाहरण : (वास्तविक उठाव राशि निर्धारित राशि से अधिक होने पर)		
1.	समूह की वर्ष 2010—11 की वार्षिक राशि	रू.10,000/—
2.	बेसिक लाईसेन्स फीस जमा राशि	रू. 1250/—
3.	वार्षिक पूर्ति योग्य राशि	रू. 8,750/—
4.	9 माह की पूर्ति योग्य राशि	रू. 6562.50
5.	9 माह में वास्तविक पूर्ति की गई राशि	रू. 8203.125
6.	प्रथम 9 माह में गारंटी राशि के विरूद्ध अधिक उठाव का प्रतिशत	$\frac{(8203.125 - 6562.50)}{6562.50} \times 100 = 25\%$
7.	अधिक उठाव की प्रतिशत बढ़ोतरी	25%
8.	वर्ष 2010—11 के अतिरिक्त उठाव के कारण की जाने वाली वृद्धि	रू.10,000 x 125% = रू. 12,500/—
9.	इस राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के बाद समूह की वर्ष 2011—12 की वार्षिक आरक्षित राशि	रू. 12500 x 110% = 13750/—

3.5 अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि :–

3.5.1 बेसिक लाईसेन्स फीस :–

वर्ष 2010–11 में वार्षिक राशि का 12.5 प्रतिशत नकद बेसिक लाईसेन्स फीस जमा कराने का प्रावधान है । वर्तमान में बेसिक लाईसेन्स फीस का भराव नही दिया जाता है।

वर्ष 2011–12 में बेसिक लाईसेन्स फीस की नकद जमा कराये जाने की व्यवस्था को समाप्त किया जाकर वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित पूर्ण वार्षिक राशि का मदिरा उठाव में भराव दिया जावेगा।

3.5.2 हैसियत जमानत :–

वर्तमान में अनुज्ञाधारी द्वारा 5 प्रतिशत हैसियत जमानत सोलवेंसी के रूप में प्रस्तुत की जाती है। हैसियत जमानत नकद रूप में न होने के कारण वसूली में कठिनाई रहती है। चूंकि वर्ष 2011–12 में बेसिक लाईसेन्स फीस की नकद जमा कराये जाने की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है, अतः इस 5 प्रतिशत सोलवेंसी (हैसियत/ जमानत) प्रस्तुत किये जाने के विकल्प में वर्ष 2011–12 के लिये 12.50 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के पेटे नकद राजकोष में जमा कराई जावेगी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रारम्भ होने से पूर्व राजकोष में जमा होगी।

यह 12.50 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर से माह फरवरी तक प्रतिमाह 2 प्रतिशत राशि एवं माह मार्च में 2.5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के आबकारी शुल्क में समायोजन योग्य होगी।

3.6 धरोहर राशि

वर्ष 2011–12 में वर्ष 2010–11 के अनुरूप ही वार्षिक राशि का 12.50 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में नकद जमा कराया जाना यथावत रखा गया है।

3.7 देशी मदिरा की किस्मों का आपूर्ति अनुपात :–

वर्ष 2011–12 हेतु स्वास्थ्य के लिये कम हानिकारक कम तेजी की देशी मदिरा की दो किस्मों को प्रोत्साहित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु खुदरा अनुज्ञाधारी को मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये निर्धारित होने वाली मदिरा की मात्रा का 40 यू.पी. देशी मदिरा अधिकतम 70 प्रतिशत,

तथा 50 यू.पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा सम्मिलित रूप से न्यूनतम 30 प्रतिशत निर्गम लेना आवश्यक होगा। संबंधित जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी को परमिट जारी करते समय इस सीमा की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

40 यू. पी. देशी मदिरा की भराई पूर्णतः ग्लास पात्र में तथा 50 यू. पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा की भराई पूर्णतः पेट पात्र में की जावेगी। इस प्रावधान की उपरोक्तानुसार आपूर्ति आर.एस.जी.एस.एम. के डिपो से डिपोवार सुनिश्चित की जावेगी।

3.8 देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य :–

वर्ष 2010–11 हेतु 40 यूपी देशी मदिरा के पव्वों के एक कार्टन का थोक विक्रय मूल्य रूपये 330/– निर्धारित है। वर्ष 2011–12 में देशी मदिरा के थोक निर्गम मूल्य को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। थोक निर्गम मूल्य में थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन सम्मिलित है :–

क्र.सं.	देशी मदिरा की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रूपये में)	
		ग्लास	पेट
1.	40 यू.पी.	330.00	–
2.	50 यू.पी.	–	310.00
3.	60 यू.पी.	–	290.00

मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव पात्र एवं अन्य विविध खर्च के पैरामीटर के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के अनुरूप ही आबकारी आयुक्त द्वारा अद्‌धा एवं बोतल के निर्गम मूल्य का निर्धारण किया जावेगा।

3.9 कम्पोजिट दुकान :–

3.9.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी, परन्तु यह शर्त ऐसी दुकानों पर लागू नही होगी जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित है।

3.9.2 वर्ष 2011–12 हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2010–11 की भा.नि.वि.म. एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 3 प्रतिशत अथवा वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित कम्पोजिट फीस में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

स्पष्टीकरण :–

(i) एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) :–

किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों हेतु मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल. को वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रथम 9 माह में समूह की उन सभी कम्पोजिट दुकानों द्वारा कुल अदा की गई राशि (Including all levies) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर अनुएलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

(ii) वर्ष 2010–11 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकानें होने पर आर.एस.बी.सी.एल से भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की वर्ष 2010–11 की सभी कम्पोजिट दुकानों की कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से प्रति कम्पोजिट दुकान विभाजित किया जाकर वर्ष 2011–12 हेतु कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी।

3.9.3 वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा दुकानों की जमा पूरी कम्पोजिट फीस भा.नि.वि.म. एवं बीयर के लिये निर्धारित न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे समायोजन योग्य होगी।

3.9.4 वर्ष 2011–12 में ऐसी दुकानें जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित है, उन पर उस नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.म./बीयर दुकान की वार्षिक लाईसेन्स फीस के अनुरूप ही कम्पोजिट फीस दो भागों यथा 50 प्रतिशत बेसिक लाईसेंन्स फीस एवं शेष 50 प्रतिशत न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस वसूल की जावेगी। 50 प्रतिशत न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस भा.नि.वि.म. एवं बीयर के लिये निर्धारित स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे समायोजन योग्य होगी।

3.10 देशी मदिरा के अवैध व्यापार को हतोत्साहित किये जाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2011–12 के दौरान यदि राज्य सरकार उचित समझे तो अनुज्ञाधारी द्वारा देय राशि से निश्चित प्रतिशत से अधिक उठाई गई देशी मदिरा पर देय आबकारी ड्यूटी में छूट प्रदान कर सकेगी।

3.11 वर्ष 2010–11 में मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम 50 प्रतिशत, निजी डिस्टलरीज का 40 प्रतिशत एवं निजी बोटलिंग प्लांट का 10 प्रतिशत है। इसे यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3.12 देशी मदिरा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रासव :–

वर्ष 2010–11 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के लिये देशी मदिरा उत्पादन हेतु मोलासेस आधारित प्रासव की मात्रा 20 प्रतिशत एवं अनाज आधारित प्रासव की मात्रा 80 प्रतिशत तक निर्धारित की गई थी । इस प्रावधान को वर्ष 2011–12 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3.13 देशी मदिरा का आयात :–

गत वर्ष की व्यवस्था के अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष के दौरान भी राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में राज्य सरकार राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा का राज्य में आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी ।

3.14 निजी देशी मदिरा उत्पादक इकाईयों द्वारा वर्ष 2010–11 में आबकारी शुल्क चुकाये बिना अन्डर बोण्ड देशी मदिरा की आपूर्ति की व्यवस्था हैं। इस व्यवस्था को बैंक गारण्टी आधारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। निजी उत्पादन इकाई से 15 दिवस में औसत आपूर्ति की गई देशी मदिरा पर देय आबकारी ड्यूटी के बराबर बैंक गारन्टी ली जावेगी।

3.15 राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार किसी भी वार्ड में अनुसुचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक होने पर ऐसे वार्ड में मदिरा दुकान लगाना वर्जित है। शहरी क्षेत्रों के वार्डो का पुनर्गठन होने से दुकान की अवस्थिति के वार्ड के नम्बर बदल गये है तथा कुछ वार्ड उपरोक्त श्रेणी में आ गये है। उक्त वार्डो की दुकानों एवं अन्य पड़त दुकान को खाली वार्ड/खाली ग्राम पंचायत में स्थानान्तरण करने हेतु आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

3.16 डूंगरपुर–बांसवाड़ा जिलों में देशी शराब का विक्रय :–

इन जिलों में देशी मदिरा विक्रय हेतु मौजूदा व्यवस्था यथावत रहेगी।

3.17 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट बोतल की गुणवत्ता प्रमाणीकरण के विषय में आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तृत निर्देश जारी करेंगे।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा :

4.1 बन्दोबस्त प्रकिया :–

वर्ष 2011–12 के बन्दोबस्त हेतु नये आवेदन आमंत्रित कर भा.नि.वि.म. /बीयर की दुकानों का बन्दोबस्त करवाया जायेगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व की भांति जिला कलक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाटरी प्रकिया सम्पादित की जायेगी।

4.2 दुकानों की संख्या :–

नगरीय क्षेत्रों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों की निर्धारित संख्या 1000 ही रखी जायेगी।

4.3 आवेदन शुल्क :–

वर्ष 2011–12 हेतु आवेदन शुल्क, वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित वार्षिक बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग का 1 प्रतिशत होगी।

4.4 लाईसेन्स फीस :–

वर्ष 2011–12 हेतु लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

क. सं.	श्रेणी	वर्ष 2010–11 में वार्षिक लाईसेन्स फीस	वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित वार्षिक फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं. 4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर व जोधपुर	9.00	4.50	4.50	9.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	7.20	3.60	3.60	7.20
3.	अन्य जिला मुख्यालय	4.80	2.40	2.40	4.80
4.	अन्य नगरपालिकाएँ	3.90	1.95	1.95	3.90

4.5 न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस :–

एक ही श्रेणी/स्थान पर स्थित कम बिक्री एवं अधिक बिक्री वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर खुदरा दुकानों को समान धरातल पर रखने के लिये वार्षिक लाईसेन्स फीस की 50 प्रतिशत राशि बेसिक लाईसेन्स फीस के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत राशि न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के रूप में राजकोष में जमा करवाई जायेगी। यह 50 प्रतिशत न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की राशि भा.नि.वि. मदिरा/बीयर के लिये निर्धारित प्रति बल्क लीटर स्पेशल वेण्ड फीस की वसूली (जो कि अनुज्ञाधारी द्वारा देय है) में समायोजित किया जायेगा।

4.6 अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य :–

भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश 20 प्रतिशत ही रखते हुये बोतल, अद्धे तथा पव्वे का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य आगामी 0 एवं 5 रूपये तक राउण्डअप किया जायेगा। इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि खुदरा अनुज्ञाधारी के लाभांश में अतिरिक्त लाभ के रूप में शामिल किया जायेगा।

(5) रिटेल ऑन ; होटल/क्लब/रेस्टोरेंन्ट बार :

5.1 विभिन्न श्रेणी की होटलों के बार लाईसेन्स हेतु लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

5.1.1 सितारा होटल /लग्जरी ट्रेनः–

इस श्रेणी के बार लाईसेन्स की दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी प्रस्तावित नही है। अतः वर्ष 2011–12 के लिये दरें निम्न प्रकार होंगीः–

(राशि लाख रूपये में)

श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2011–12
पांच सितारा होटल	15.00
चार सितारा होटल	10.00
तीन सितारा होटल	8.00
लक्जरी ट्रेन	8.00

5.1.2 हैरिटेज होटल :–

इस वर्ष हैरिटेज होटल में बार की स्वीकृति हेतु होटल्स के वर्गीकरण के मापदण्ड निर्धारित किये गये है। वर्तमान में संचालित हैरिटेज होटलों का वर्गीकरण किया जाना प्रक्रियाधीन है। अतः इस श्रेणी के बार लाइसेन्स की प्रचलित दरों में संशोधन निम्नानुसार की जाती है –

(राशि लाख रूपये में)

श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2011–12
हैरिटेज – अ	8.00
हैरिटेज – ब	5.00
हैरिटेज – स	3.00

5.1.3 अन्य होटल :– विभिन्न श्रेणी की होटलों के बार लाईसेन्स हेतु लाईसेन्स फीस में रूपये 1.5 लाख की वृद्धि की जाकर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

श्रेणी	स्थान	लाईसेन्स फीस वर्ष 11–12
होटल – अ	जयपुर/जोधपुर	7.50
होटल – ब	अन्य सम्भाग मुख्यालय, माउन्ट आबू एवं जैसलमेर	6.50
होटल – स	अन्य जिला मुख्यालय	5.50
होटल – द	अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी	4.00
अन्य होटल	उपरोक्त अ से द में शामिल नही	3.00

5.2. **रेस्टोरेन्ट बार** :– विभिन्न श्रेणी के रेस्टोरेंन्टस् के बार लाईसेन्स हेतु लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

श्रेणी	स्थान	लाईसेन्स फीस वर्ष 2011–12
रेस्टोरेन्ट – अ	जयपुर/जोधपुर	7.00
रेस्टोरेन्ट – ब	अन्य सम्भाग मुख्यालय, माउन्ट आबू एवं जैसलमेर	5.00
रेस्टोरेन्ट – स	अन्य जिला मुख्यालय	4.00
रेस्टोरेन्ट – द	अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी	3.50
अन्य रेस्टोरेन्ट	उपरोक्त अ से द में शामिल नही	2.50

5.2.1 वर्ष 2010–11 में अनुज्ञप्तिधारी रेस्टोंरेन्ट के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु विशिष्ठतायें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

(i) रेस्टोरेन्ट में कवर्ड डायनिंग क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट के साथ ही न्यूनतम 40 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता।

(ii) रेस्टोरेन्ट पूर्णतया वातानुकूलित होना।

(iii) रेस्टोरेन्ट में महिला एवं पुरूष शौचालय की अलग–अलग व्यवस्था ।

(iv) रेस्टोरेन्ट परिसर में अतिथियों के ठहरने एवं निवास हेतु कमरे नही हो।

(v) रेस्टोरेन्ट का वर्ष 2010–11 में वार्षिक टर्नऑवर 15 लाख रूपये या अधिक तथा जिसमें से "कुक्ड फूड" की कुल बिलिंग राशि 10 लाख रूपये या अधिक होने पर ही उसका अनुज्ञापत्र वर्ष 2011–12 के लिये नवीनीकरण योग्य होगा। इस टर्नऑवर एवं "कुक्ड फूड" की बिलिंग राशि का प्रमाणीकरण वाणिज्यिक कर विभाग के एसेसिंग अर्थोरिटी से बिक्रीकर विवरणियों के आधार पर प्राप्त किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 पूर्ण होने से पूर्व तथा अंतिम तीमाही में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय प्रथम तीन तिमाही का उपरोक्तानुसार अनुपातिक टर्नऑवर होना आवश्यक होगा।

(vi) अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण से पूर्व यह आवश्यक होगा कि अनुज्ञाधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित टर्नऑवर के अनुसार देय कर राजकोष में जमा करा दिया गया हो।

5.2.2 वर्ष 2011–12 में रेस्टोंरेन्ट बार के अनुज्ञापत्र के लिये प्रस्तुत नवीन आवेदन पर बार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये विशिष्ठतायें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

(i) रेस्टोरेन्ट में कवर्ड डायनिंग क्षेत्रफल, एक ही तल पर, 1000 वर्ग फीट के साथ ही न्यूनतम 50 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता।

(ii) रेस्टोरेन्ट पूर्णतया वातानुकूलित होना।

(iii) रेस्टोरेन्ट में महिला एवं पुरूष शौचालय की अलग–अलग व्यवस्था ।

(iv) रेस्टोरेन्ट परिसर में अतिथियों के ठहरने एवं निवास हेतु कमरे नही हो।

(v) रेस्टोरेंन्ट न्यूनतम 40 फीट की रोड पर स्थित होगा।

(vi) रेस्टोरेन्ट का गत दो वर्षो में प्रत्येक वर्ष का ग्रोस टर्नऑवर 15 लाख रूपये या अधिक तथा जिसमें से कुक्ड फूड की कुल बिलिंग राशि 10 लाख रूपये या अधिक होना आवश्यक होगा। इस टर्नऑवर एवं "कुक्ड फूड" की बिलिंग राशि का प्रमाणीकरण वाणिज्यिक कर विभाग के एसेसिंग अर्थोरिटी से बिक्रीकर विवरणियों के आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

(vii) अनुज्ञापत्र जारी किये जाने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि अनुज्ञाधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित टर्नऑवर के अनुसार देय कर राजकोष में जमा करा दिया गया हो।

(viii) रेस्टोरेंन्ट का संचालन कम से कम दो वर्ष पूर्व से किया जा रहा होना आवश्यक होगा। इसका आधार रेस्टोरेंन्ट द्वारा प्राप्त वाणिज्यिक कर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं फूड लाईसेन्स प्राप्त करने की दिनांक को रखा जायेगा। भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ix) वाणिज्यिक कर विभाग की रेस्टोरेन्ट व ढ़ाबा हेतु प्रशमन योजना लागू है । इस योजना को अपनाने वाले रेस्टोरेन्ट को बार लाईसेन्स जारी नहीं किया जायेगा।

5.3 क्लब बार :–

वर्तमान में क्लब बार का वर्गीकरण एवं लाईसेन्स फीस निम्नानुसार हैं :–

(राशि लाख रूपये में)

श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2009–10 एवं 2010–11
क्लब – जयपुर / जोधपुर	1.50
क्लब – अन्य स्थान	1.00

वर्तमान में क्लब के अनुज्ञापत्र के लिये उसका पंजीयन, सदस्यता सूची के आधार पर बिना किसी आधारभूत संसाधन एवं विशेष पूंजी निवेश के ही अनुज्ञापत्र लिया जा सकता है। इस अनुज्ञापत्र की सुविधा से क्लब में क्लब के सदस्यों एवं सदस्यों के आगन्तुक मेहमानों को बीयर/वाईन/मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध होती है। इस व्यवस्था में क्लब बार के लाईसेन्सी द्वारा व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की भावना रहती है। क्लब पर उपलब्ध यह सुविधा लगभग होटल बार के अनुरूप ही है, जबकि होटल बार के लिये अधिक निवेश के साथ ही अधिक बार लाईसेन्स फीस देय है। अतः सुविधाओं के अनुरूप फीस आधारित समरूपता लाने के लिये क्लब बार को सिविल क्लब एवं कॉमर्शियल क्लब में श्रेणीबद्ध किया जाकर निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है।

5.3.1 सिविल क्लब :–

सिविल क्लब से अभिप्रेत ऐसे व्यक्तियों की समिति से है जो सामाजिक संसर्ग के लिये या अन्य किसी सम्बन्धित प्रयोजन के लिये संगठित है और लाभ अर्जित करने के लिए नहीं है तथा साथ ही जो सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी

अधिनियमिती के अधीन वर्ष 31–12–2000 से पूर्व पंजीकृत है अथवा जिसे राज्य सरकार द्वारा पूर्व में किसी विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण से उन्मुक्ति प्रदान की गई हो।

5.3.2 व्यावसायिक क्लब

व्यावसायिक क्लब से अभिप्रेत ऐसी किसी कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठान से है जो लाभ अर्जित करने अथवा व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु संचालित है। व्यावसायिक क्लब निम्न सुविधाओं से युक्त होना आवश्यक होगाः–

(i) तरणताल
(ii) व्यायामशाला (Gymnasium), जिसमें शारीरिक व्यायाम हेतु उपकरण हो।
(iii) बैडमिन्टन हॉल/स्क्वैश कोर्ट
(iv) बिलियडर्स/पूल टेबल
(v) कार्डस रूम
(vi) टेनिस कोर्ट

5.3.3 क्लब बार की प्रस्तावित श्रेणियॉं एवं लाईसेन्स फीस :–

वर्ष 2011–12 के लिये क्लब को श्रेणीबद्ध एवं परिभाषित किया जाकर निम्नानुसार लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

श्रेणी	स्थान	लाईसेन्स फीस वर्ष 2011–12
सिविल क्लब	जयपुर / जोधपुर	2.00
सिविल क्लब	अन्य स्थान	1.50
कॉमर्शियल क्लब	जयपुर / जोधपुर	6.00
कॉमर्शियल क्लब	अन्य स्थान	4.00

5.3.4 नवीनीकरण :–

वर्ष 2010–11 में अनुज्ञापित क्लब बार लाईसेन्स का वर्ष 2011–12 हेतु नवीनीकरण, क्लब बार हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित वर्गीकरण एवं लाईसेन्स फीस की शर्तों के आधार पर ही किया जायेगा।

5.4 रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी द्वारा भा.नि.वि. मदिरा/बीयर निर्गम पर निर्धारित स्पेशल वेण्ड फीस देय होगी। यह स्पेशल वेण्ड फीस रिटेल ऑन

अनुज्ञापत्र की वार्षिक लाईसेन्स फीस में समायोजन योग्य नही होगी तथा रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी द्वारा पृथक से जमा करानी होगी।

5.5 ऑकेजनल लाईसेन्स :–

ऐसे व्यावसायिक स्थल, जहां समारोह आदि में मदिरा परोसने हेतु विभाग से ऑकेजनल लाईसेन्स प्राप्त किया जाता है, को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीकरण राशि 5000 रूपये वार्षिक लागू होगी।

5.6 एक उपभोक्ता द्वारा स्वयं के उपभोग के लिये रखी जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा को व्यवहारिक बनाने हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा अन्य राज्यों का अध्ययन कर राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव दिया जायेगा।

(6) भांग :

6.1 बन्दोबस्त प्रकिया :

भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर करवाया जायेगा।

6.2 समूहों की संख्या :

वर्ष 2011–12 के लिये भांग दुकानों के 29 समूहों को यथावत रखा जायेगा।

6.3 आरक्षित राशि का निर्धारण :

वर्तमान में भांग पर वाणिज्यक कर विभाग एवं आबकारी विभाग दोनों की कर देयता है। अतः भांग के 29 समूह के अनुज्ञाधारियो को एक ही राजस्व विभाग से सम्बद्ध रखने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 में देय वैल्यू ऐडेड टेक्स को समाप्त किया जाकर लाईसेन्स फीस में सम्मिलित किया जायेगा।

ऐसे समूह जिनमें वर्ष 2010–11 में प्राप्त राशि आरक्षित राशि की 110 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त हुई है, ऐसे समूह की वर्ष 2010–11 की प्राप्त राशि एवं वैट की राशि के योग को वर्ष 2011–12 के लिये आरक्षित राशि रखी जायेगी।

ऐसे समूह जिनमें वर्ष 2010–11 में प्राप्त राशि आरक्षित राशि के 110 प्रतिशत से कम है उन समूह में वर्ष 2010–11 की आरक्षित राशि की 110 प्रतिशत राशि एवं वैट की राशि के योग को वर्ष 2011–12 के लिये आरक्षित राशि रखी जायेगी।

(7) डोडा पोस्त :

7.1 बन्दोबस्त प्रक्रिया :

वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित वार्षिक आरक्षित राशि पर उपभोग क्षेत्र के डोडा पोस्त समूहों के आवंटन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।

उत्पादन क्षेत्र के समूह का आवंटन उपभोग क्षेत्र के चयनित अनुज्ञाधारियों के मध्य आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2009–10 के अनुरूप लाटरी निकाल कर किया जायेगा ।

7.2 समूहों की संख्या :

वर्ष 2011–12 के लिये डोडा पोस्त उत्पादन क्षेत्र में 12 समूह तथा उपभोग क्षेत्र में 24 समूह को यथावत रखा जायेगा।

7.3 आवेदन शुल्क :–

उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्रों के समूहों के आवेदन हेतु, आवेदन शुल्क उस समूह की वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित लाईसेन्स फीस का 1 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

7.4 आरक्षित राशि का निर्धारण :

भांग की ही भांति वर्तमान में डोडा पोस्त पर भी वाणिज्यक कर विभाग की वेट एवं आबकारी विभाग की लाईसेन्स फीस/आबकारी शुल्क दोनों की कर देयता है । अतः भांग के लिए की गई व्यवस्था के अनुरूप एक अनुज्ञाधारी को एक ही राजस्व विभाग से सबद्ध रखने के उद्देश्य से डोडा पोस्त पर भी वर्ष 2010–11 में देय वैल्यू ऐडेड टेक्स को समाप्त किया जाकर लाईसेन्स फीस में सम्मिलित किया जायेगा ।

इस हेतु उत्पादन क्षेत्र के थोक, उपभोग क्षेत्र के थोक एवं खुदरा समूहों प्रत्येक की 2010–11 की लाईसेन्स फीस में 15 प्रतिशत की वृद्वि की जाकर वर्ष 2011–12 की लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है।

7.5 कृषकों से डोडा पोस्त का खरीद मूल्य :–

डोडा पोस्त खरीद के लिये कृषको को देय वर्तमान खरीद मूल्य रू.100 प्रति किलोग्राम के स्थान पर वर्ष 2011–12 हेतु खरीद मूल्य रू.125 प्रति किलोग्राम किया जाता है।

7.6 डोडा पोस्त का अधिकतम विक्रय मूल्य :–

डोडा पोस्त का निर्धारित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य रूपये 500 प्रति किलोग्राम पर बिक्री सुनिश्चित किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने हेतु आबकारी मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी।

7.7 डोडा पोस्त विक्रय का इन्द्राज :–

खुदरा अनुज्ञाधारी द्वारा परमिटधारी व्यसनी को विक्रय किये गये डोडा पोस्त की प्रत्येक मात्रा का इन्द्राज स्टॉक पंजिका में किये जाने हेतु संबंधित नियमों में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा ।

(8) लाइसेंस फीस व अन्य फीस में संशोधन

8.1 उत्पादन ईकाईयॉ की लाईसेन्स फीस में संशोधन

8.1.1 राज्य में स्थित प्रासव/मदिरा उत्पादन ईकाईयॉ डिस्टलरी एवं ब्रेवरी की वार्षिक लाईसेन्स फीस वर्तमान में क्रमशः 15 लाख रूपये एवं 12 लाख रूपये है, जिसको बढ़ाकर वर्ष 2011–12 हेतु क्रमशः 20 लाख रूपये एवं 15 लाख रूपये किया जाता है।

8.1.2 मदिरा की बोटलिंग हेतु वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र.सं.	विवरण	लाईसेन्स फीस	बोण्ड फीस	योग
1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	5 लाख रूपये	5 लाख रूपये	10 लाख रूपये
2	देशी मदिरा	1 लाख रूपये	5 लाख रूपये	6 लाख रूपये
3	भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा दोनों की अनुज्ञा	6 लाख रूपये	5 लाख रूपये	11 लाख रूपये

उक्त फीस सम्पूर्ण वर्ष अवधि अथवा उसकी आंशिक अवधि दोनों के लिये लागू होगी।

8.2 अन्य फीस में संशोधनः–

8.2.1 आयात शुल्क (Bringing into fee) :– निजी आश्वनी/बोटलिंग प्लांट द्वारा वर्ष 2010–11 में शोधित प्रासव/ई.एन.ए. के आयात पर शुल्क (Bringing into fee) रूपये 3/– प्रति बल्क लीटर है। राज्य में स्थापित शोधित प्रासव/ई.एन.ए. उत्पादन ईकाइयों की उत्पादन क्षमता को संरक्षण देने की दृष्टि से इन उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया

जाकर वर्ष 2011–12 में रूपये 7/– प्रति बल्क लीटर किया जाता है। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा आयातित प्रासव पर रियायती आयात शुल्क 3/– रूपये प्रति बल्क लीटर यथावत रहेगा।

8.2.2 **निर्यात शुल्क (Sending out fee)** :– वर्ष 2010–11 में शोधित प्रासव/ ई.एन.ए. पर निर्यात शुल्क रूपये 2/– प्रति बल्क लीटर, इस शर्त के साथ निर्धारित है कि ऐसी इकाईयॉ जो वर्ष 2009–10 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक शोधित प्रासव/ई.एन.ए. का उत्पादन करेंगी तो उस 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादित शोधित प्रासव/ई.एन.ए. पर निर्यात शुल्क रूपये 2/– प्रति बल्क लीटर के स्थान पर रूपये 0.20 प्रति बल्क लीटर होगा। वर्ष 2011–12 में बिना किसी शर्त के रू. 0.20 प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है। इससे राज्य में स्थापित डिस्टलरीज को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन कर राज्य से बाहर शोधित प्रासव प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर विक्रय करने का अवसर मिलेगा।

8.2.3 देशी मदिरा उत्पादक इकाई (डिस्टलरी) द्वारा फेन्चाईज व्यवस्था के अन्तर्गत देशी मदिरा उत्पादन के लिये डिस्टलरी से राज्य में स्थित फेंन्चाईज उत्पादन स्थल तक प्रासव परिवहन पर 2.50 रू. प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन परमिट फीस वसूल की जायेगी। डिस्टलरी के परिसर में बोटलिंग की स्थिति में यह फीस पूर्व की भांति देय नहीं होगी।

8.2.4 **स्पेशल वेण्ड फीस** :–

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिये 10 रूपये प्रति बल्क लीटर तथा बीयर के लिये 5 रूपये प्रति बल्क लीटर स्पेशल वेण्ड फीस निर्धारित की जाती है। यह स्पेशल वेण्ड फीस कॉस्ट शीट/एम.आर.पी. का भाग नही होकर खुदरा अनुज्ञाधारी द्वारा पृथक से देय होगी।

बीयर एवं भा.नि.वि. मदिरा पर आरोपित उक्त स्पेशल वेण्ड फीस रिटेल ऑन, रिटेल ऑफ एवं कम्पोजिट अनुज्ञाधारियों द्वारा देय होगी। रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा कराई गई न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की राशि एवं कम्पोजिट अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा कराई गई, कम्पोजिट फीस की पूर्ण राशि भा.नि.वि.म./बीयर निर्गम पर देय निर्धारित स्पेशल वेण्ड फीस में समायोजन योग्य होगी, जबकि सभी श्रेणी के रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों द्वारा भा.नि.वि.म /बीयर के निर्गम के लिए निर्धारित स्पेशल वेण्ड फीस पृथक से देय होकर जमा वार्षिक लाईसेन्स फीस मे से समायोजन योग्य नही होगी।

(9) बन्दोबस्त से शेष रही दुकानों को आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य जिले में स्थानान्तरित किये जाना अथवा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा संचालित कराया जायेगा ।

(10) **आबकारी विभाग का सुदृढ़ीकरण :–**

राज्य में अवैध मदिरा के उत्पादन एवं अन्य राज्यों से अवैध रूप से लाई जाने वाली मदिरा की रोकथाम के लिये आबकारी विभाग की सामान्य शाखा, निरोधक शाखा तथा प्रयोगशालाओं का सुदृढ़िकरण व आधुनिकीकरण किया जायेगा।

10.1 सामान्य शाखा सुदृढ़ीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :–

10.1.1 भरतपुर सम्भाग में विभाग का नया जोनल कार्यालय प्रारम्भ किया जायेगा ।

10.1.2 उदयपुर जोन के लिये पृथक से अतिरिक्त आयुक्त पदस्थापित किया जायेगा।

10.1.3 उदयपुर मुख्यालय पर अतिरिक्त आयुक्त (विधि) का पद सृजित किया जायेगा।

10.1.4 वर्तमान में आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी/सहायक निदेशक के क्षेत्राधिकार भिन्न–भिन्न है। आबकारी आयुक्त के स्तर से यथासंभव इनका एक ही क्षेत्राधिकार पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।

10.1.5 विभाग के सामान्य शाखा का सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायकों के आवश्यक पद सृजित किये जायेग।

10.1.6 आबकारी विभाग की सामान्य शाखा एवं निरोधक दल शाखा के समस्त अधिकारियों को एक ही CUG मोबाइल की सुविधा दी जायेगी।

10.1.7 आबकारी निरीक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से दौरे कर मदिरा व्यवसाय पर पर्याप्त नियंत्रण रखना होता है। अतः आबकारी निरीक्षकों को वाहन तथा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध कराया जायेगा।

10.2 आबकारी निरोधक दल सुदृढ़ीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :–

10.2.1 आबकारी प्रर्वतन शाखा के पदों, जिन्हें अभी प्रतिनियुक्ति से भरा जा रहा है को वर्ष 2011–12 में आबकारी विभाग के

निरोधक दल के स्थाई अधिकारी एवं कर्मचारियों से भरा जायेगा।

10.2.2 विभाग की आबकारी निरोधक शाखा की ई.पी.एफ. लाइन्स की व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः जिलों में चरणबद्ध रूप से इन लाइन्स एवं निरोधक दल के थानों का भवन निर्माण करवाया जावेगा जिनमें लॉकअप व मालखाना की सुविधाएं होगी। इस कार्य हेतु वांछित बजट राशि आगामी 2 वर्षो में उपलब्ध कराया जायेगा।

10.2.3 निरोधक शाखा की लाइन्स में पुलिस विभाग के अनुरूप लांगरी की सुविधा दी जायेगी।

10.2.4 अवैध मदिरा के कारोबार की आसूचना के लिये जोनल आबकारी अधिकारी निरोधक दल के अधीन आसूचना कार्यबल की स्थापना की जायेगी।

10.2.5 आबकारी निरोधक दल को सोर्स फण्ड हेतु आवंटित बजट में वृद्धि की जायेगी। सोर्स फण्ड जिला कलेक्टर्स को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

10.2.6 मुखबिर प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए अभियोग कार्य एवं अन्य विभागीय कार्यों के लिये विभाग में प्रोत्साहन योजना भी लागू की जायेगी।

10.2.7 आबकारी निरोधक दल में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो/आसूचना निदेशालय की व्यवस्थानुसार प्रोत्साहन वेतन पर विशिष्ठ चयन की व्यवस्था लागू की जायेगी।

10.2.8 वर्तमान में आबकारी निरोधक दल में सहायक आबकारी अधिकारी का पद नाम उपनिदेशक के नाम से है । इसे संशोधन किया जाकर पूर्व की भांति पुनः पदनाम सहायक आबकारी अधिकारी किया जायेगा। इसी प्रकार सहायक निदेशक का पदनाम संशोधित कर पूर्व की भांति प्रहराधिकारी किया जायेगा ।

10.2.9 सीमावर्ती राज्यों से राज्य में तस्करी कर लायी जा रही अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु सीमावर्ती जिलों के मुख्य मार्गो पर बोर्डर चैक पोस्ट स्थापित की जायेंगी।

10.3 उत्पादन ईकाइयॉ पर आबकारी विभाग का नियंत्रण हेतु लिये गये निर्णयः–

10.3.1 अलवर जिले में मदिरा/शोधित प्रासव उत्पादन करने वाली ईकाईयां काफी मात्रा में कार्यरत है। इन ईकाईयों के कामकाज एवं उत्पादन पर विभाग की सतर्क दृष्टि होना आवश्यक है। इस उद्‌देश्य से बहरोड़ जिला अलवर में जिला आबकारी अधिकारी (उत्पादन ईकाईयां) का नया कार्यालय खोला जायेगा।

10.3.2 राज्य में स्थापित डिस्टलरी/ब्रूवरी/बोटलिंग प्लान्ट तथा रिडेक्शन प्लान्ट पर लगाये जाने वाले आबकारी स्टाफ का नोर्मस निर्धारित कर इसके अनुरूप पदस्थापन किया जायेगा। इस हेतु आवश्यकता अनुरूप नवीन पद स्वीकृत किये जायेंगे।

10.3.3 प्रत्येक उत्पादन इकाई पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों हेतु इकाई द्वारा आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जायेगा।

10.3.4 उत्पादन इकाई की सम्पूर्ण विभागीय गतिविधियों को मुख्यालय पर स्थित सर्वर से जोड़ा जायेगा।

10.3.5. उत्पादन इकाई में इकाई के खर्च पर सी.सी.टीवी/ आईपी कैमरा स्थापित किये जायेंगे।

10.3.6. इकाई पर प्रभारी अधिकारी की उपलब्धता बायो मेट्रिक्स प्रणाली से सुनिश्चित कराने के लिये आवश्यक तकनीकी व्यवस्था इकाई द्वारा उसके खर्च पर की जायेगी।

10.4 प्रयोग शाला :–

मदिरा एवं प्रासव की गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु उदयपुर एवं जोधपुर में संचालित विभागीय प्रयोगशालाओं के अनुरूप जयपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर में भी प्रयोगशालाऐं स्थापित की जायेगी।

10.5 आबकारी विभाग में वर्ष 2010–11 के दौरान विशेष अभियान संचालित कर 20 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के जब्तशुदा वाहनों का निलामी द्वारा निस्तारण किया गया है। अतः आबकारी विभाग को वर्ष 2011–12 में सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु वाहन निस्तारण से प्राप्त राशि की 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त स्वीकृत की जायेगी।

(11) अवैध शराब के सेवन के परिणामस्वरूप होने वाली दुखान्तिकाओं के लिये उत्तरदायित्व एवं प्रबोधन :–

11.1 आबकारी निरोधक दल का जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी बनाया जायेगा।

11.2 शराब दुखान्तिका की घटना की गम्भीर प्रकृति को देखते हुये निम्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया घटना के लिये उत्तरदायी माना जाकर तत्काल निलम्बित करते हुये, समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

i. सम्बंधित जिला का जिला आबकारी अधिकारी

ii. आबकारी निरोधक दल का जिला स्तरीय अधिकारी यथा– सहायक आबकारी अधिकारी/उप निदेशक निरोधक दल ।

iii. सम्बंधित क्षेत्र के आबकारी थाने का प्रहराधिकारी/सहायक निदेशक।

iv. सम्बंधित क्षेत्र के आबकारी थाने का बीट कॉस्टेबल।

v. सम्बंधित क्षेत्र के जिला पुलिस का उप अधीक्षक पुलिस।

vi. सम्बंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का थानाधिकारी।

vii. सम्बंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का बीट कॉस्टेबल।

11.3 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 61(क) में आबकारी अधिकारियों के लिये अमुक कार्यो और लोपों (Certain Acts and Omissions) के लिये शास्ती का प्रावधान है, जिसके तहत तीन माह से एक वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जाकर अन्य विभाग के अधिकारियों, यथा जिला पुलिस, राजस्व विभाग आदि को आबकारी अधिकारियों के अनुरूप ही इस अधिनियम के अध्याय 8, (अधिकारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य) की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है।

अतः विभाग द्वारा दर्ज ऐसे प्रकरणों में शराब दुखान्तिका होने वाले क्षेत्र में पदस्थापित आबकारी निरोधक दल के प्रहराधिकारी/सहायक निदेशक के स्तर तक एवं जिला पुलिस थाना के थानाधिकारी के स्तर तक के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 61(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

11.4 अवैध शराब व्यवसाय एवं अवैध शराब उत्पादन की प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नानुसार सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था की जायेगी :–

11.4.1. विभागीय वेबसाईट पर अवैध शराब के व्यवसाय एवं उत्पादन में लिप्त व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचना का डाटाबेस तैयार किया जायेगा। उक्त डाटा बेस में ऐसे अपराधियों के विषय में सम्पूर्ण जानकारी जैसे – नाम, पता, इनके विरूद्ध पूर्व में दर्ज मुकदमों का विवरण, इनके कार्यक्षेत्र का विवरण, फरारी आदि की सूचना निरन्तर अद्यतन की जायेगी। इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के प्रत्येक जिले को (यथा सम्भव प्रत्येक थाने को) एक पृथक से लॉगिन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि वे उक्त सूचना को निरन्तर रूप से स्वयं के स्तर पर अपडेट कर सके।

11.4.2. इस विभागीय वेबसाईट पर आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा ऐसे स्थानों जहां पर अवैध मदिरा का उत्पादन होता है, के विषय में भी विस्तृत सूचना का डाटाबेस तैयार किया जायेगा। उक्त डाटाबेस में यह सूचना आबकारी एवं पुलिस विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा फीड की जायेगी कि अवैध शराब निर्माण से प्रभावित इन क्षेत्र/स्थानों पर किस–किस अधिकारी द्वारा कब–कब दौरा किया गया एवं इन स्थानों पर कब–कब उनके द्वारा रेड कार्यवाही की गई, ताकि ऐसे स्थानों पर सतत् कार्यवाही की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

11.4.3 उपरोक्त व्यवस्था से अवैध शराब उत्पादन, अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही एवं उक्त अपराध के विरूद्ध उनकी संवेदनशीलता की जानकारी प्राप्त हो सकेगी एवं उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जा सकेगा।

11.5 मदिरा दुकानों पर अवैध मदिरा अथवा अन्य राज्यों की मदिरा पाई जाने पर अभियोग पंजीकरण के साथ–साथ अनुज्ञाधारी के सभी अनुज्ञापत्रों के निरस्तीकरण की तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

11.6 आबकारी तथा पुलिस विभाग द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध समन्वित अभियान जारी रखा जायेगा।

11.7 दूसरे राज्यों से राजस्थान होकर जाने वाली मदिरा की आवक एवं जावक पर निगरानी बरतने के लिये प्रभावी तंत्र विकसित किया जायेगा।

(12) स्थानान्तरण /पदस्थापन नीति :–

आबकारी विभाग की सामान्य शाखा/आबकारी निरोधक दल में कार्यरत एवं निरोधक शाखा में पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर आये हुये पुलिस अधिकारियों के कार्यो में निष्पक्षता सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग में निम्नानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

12.1 एक स्थान पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष तक ही होगा।

12.2 निरोधक दल के सिपाही एवं सामान्य शाखा के आबकारी गार्ड के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को स्वयं के गृह जिले में पदस्थापित नही किया जायेगा।

12.3 किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का पदस्थापन किसी स्थान पर उस स्थिति में ही किया जा सकेगा कि वह गत 10 वर्षो की अवधि में उस स्थान पर कुल 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिये पदस्थापित नही रहा हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को एक ही स्थान पर दूसरी बार पदस्थापित किया जाता है तो इन दो कार्यकाल के बीच कम से कम 3 वर्ष की अवधि का अन्तराल होना आवश्यक होगा।

12.4 जिस अधिकारी/कर्मचारी पर सी.सी.ए. नियम 16 के तहत शराब दुखान्तिका एवं आबकारी अधिनियम के अपचार के सम्बन्ध में गम्भीर आरोपों के विषय में आरोप पत्र जारी कर अनुशासनान्तक कार्यवाही विचाराधीन हो, उसे फील्ड पोस्टिंग नही दी जायेगी।

12.5 आबकारी राज्य सेवा एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आबकारी आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार कर किये जायेंगे ।

12.6 विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारियों के लिये उपरोक्त अवधि की गणना हेतु उसके मूल विभाग के कार्यकाल को भी शामिल माना जायेगा।

12.7 गम्भीर बीमारी से पीड़ित अधिकारी/कर्मचारियों का पदस्थापन उनके प्रार्थनानुसार पदस्थापन नीति में शिथिलता दिया जाकर किया जायेगा।

(13) रेक्टिफाईड स्प्रिट से उत्पादित अप्रयुक्त मदिरा के निस्तारण हेतु आबकारी शुल्क की माफी :–

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 में रेक्टिफाईड स्प्रिट से बनाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा का विक्रय प्रतिबन्धित किया जा चुका है। कुछ ईकाईयों में ऐसी भारत निर्मित विदेशी मदिरा अभी तक शेष है। इस मदिरा को नष्ट कर निस्तारित किया जाना ही एक मात्र उपाय है। ऐसी नष्ट की जाने वाली मदिरा पर आबकारी शुल्क की देयता माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे मामलों में आबकारी शुल्क जमा करा कर मदिरा नष्ट की जाने की स्थिति में भुगतान की गई आबकारी शुल्क की राशि का रिफण्ड नही होगा।

(14) नवजीवन योजना :

नवजीवन योजना को और अधिक सुदृढ़ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसे वर्ष 2011–12 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित किया जायेगा।

(15) शुष्क दिवस एवं मद्य संयम :

15.1 वर्तमान में निर्धारित पांच शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती हैं, इन शुष्क दिवसों पर मदिरा दुकानें बन्द रखने के लिये कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी।

15.2 अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ दुकानें खुलने प्रातः 10 बजे व बन्द होने के समय सायं 8:00 बजे की कठोरता से पालना की जायेगी।

15.3 राज्य में शिथिलता के साथ मदिरा दुकानें संचालित नही होगीं।

15.4 मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

15.5 मदिरा के प्रत्येक पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी ''मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं'' का उल्लेख किया जायेगा।

15.6 18 वर्ष के कम युवा वर्ग को नशीले पदार्थो की बिक्री न हो इस दिशा में और अधिक प्रयास किये जायेंगे।

15.7 दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नही होगी।

15.8 गैर सरकारी संस्थान तथा राज्य के कर्मचारियों द्वारा नशा निवारण तथा अवैध शराब की रोकथाम के लिये किये गये सराहनीय कार्य को राज्यस्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

15.9 नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित किया जायेगा।

15.10 मादक पदार्थों के सेवन के आदी व्यक्तियों की नशे की लत छुडवाने हेतु नशा–मुक्ति केन्द्र संचालित किये जाने की कार्ययोजना बनाई जाकर संबंधित विभाग के माध्यम से लागू की जायेगी।

(16) आबकारी बन्दोबस्त के संबंध में शेष प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप ही रखे जायेगे।

09/02/21

(अभय कुमार)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग